Indian J. Soc. & Pol. 11 (02):61-64:2024 **ISSN: 2348-0084 (PRINT)**
February-June 2023 (31 July 2024) **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

ऑनर किलिंग (सम्मान हत्या): एक सामाजिक अभिशाप

पंकज कुमार गौतम[1]

[1]एसोसिएट प्रोफेसर,राजनीति विज्ञान, टी.डी. पी.जी.कॉलेज,जौनपुर,उ.प्र.,भारत

ABSTRACT

'ऑनर किलिंग' (सम्मान हत्या) यह शब्द सुनते ही जेहन में एक अजीब सी उलझन होती है कि क्या किसी के सम्मान के लिए किसी भी तरह के हत्या को जायज ठहराया जा सकता है, हत्या किसी भी तरह से हो उसे गैर कानूनी ही माना जाएगा। किसी भी हत्या को जायज नहीं ठहराया जा सकता चाहे वह किसी परिवार के सम्मान के लिए की गयी हो या धर्म के सम्मान के लिए या किसी के वंश के अपमान के कारण, किसी बालिग को स्वयं के जीवन से संबंधित फैसला मात्र लेने पर उसकी हत्या कर देना और 'ऑनर किलिंग' ;सम्मान हत्याद्ध का नाम देकर उसे परोक्ष रूप से वैध ठहराना असंभव है। हर व्यक्ति अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है अपने इच्छा से जीवन जीना चाहता है कोई व्यक्ति,समुदाय, धार्मिक संस्थाएं उसे यह कहकर नहीं रोक सकती कि उसने किसी का उलंघन किया है। दुसरों के लाभ या नाम के लिए एक व्यक्ति को मार रहा है। शायद एक पुरूष या एक महिला जो परिवार द्वारा आयोजित विवाह को स्वीकार नही करता है या अपने द्वारा विवाह के विकल्प को स्वीकार कर लेता है। इस शोध पत्र में 'ऑनर किलिंग' ;सम्मान हत्या, के कुछ तथ्यों के साथ इसके कारण, प्रभाव, कानूनी प्रावधान एवं समाधान को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है।

KEYWORDS: *'ऑनर किलिंग', खाप पंचायत, परिवार, सम्मान*

किसी व्यक्ति की बर्बरता पूर्ण हत्या 'ऑनर किलिंग' (सम्मान हत्या) का नाम ले लेती है बस इस शर्त पर कि उसने परिवार के सहमति के वगैर विवाह के लिए इच्छा जाहिर की, इस स्थिति मे परिवार के सदस्य की हत्या परिवार के सदस्य द्वारा ही कर दिया जाता है, इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि परिवार/समुदाय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। शर्म की बात यह है कि ऐसे बेतुके आवरण से केवल हत्या ही नही बल्कि सामाजिक, आर्थिक रूप से महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है। भारत और अन्य मुस्लिम देशों में इस प्रकार के व्यवस्थित आकड़ों का अभाव हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार लगभग भारत में सन् 2000 में (हत्या एवं आत्म हत्या) 5000 एवं विश्व के कुल देशों में यह आकड़ा 20000 से अधिक था।(http://www.honordiaries.com/wp-content/uploads/2013/06/HD-FactSheet,HonorViolenceEast.pdf) 'ऑनर किलिंग' को एक अलग संदर्भ में भी देखा जा सकता है, यौन संबंधों (परिवार के इच्छा के विरूद्ध विवाह या विवाहेत्तर यौन संबंध) के लिए परिवार एवं रिश्तेदारों द्वारा शर्म के आधार पर भी इसे उचित माना जाता है।

उद्देश्य

- ऑनर किलिंग और उसके परिणामों के बारे में जानना।
- सम्मान हत्या के प्रभावों के बारे में समाज को शिक्षित करना।
- ऑनर किलिंग में कानून की भूमिका के बारे में अध्ययन करने के लिए।
- ऑनर किलिंग को रोकने के लिए समाधान प्रस्तुत करना।

क्या है 'ऑनर किलिंग' (सम्मान हत्या)?

विकिपीडिया के अनुसार, 'ऑनर किलिंग' (सम्मान हत्या) का आशय सम्मान के लिए किए गए ऐसी हत्या से है जिसमें किसी परिवार या समुदाय के किसी सदस्य की (आमतौर पर एक महिला की) हत्या उसी परिवार ,वंश समुदाय के किसी एक या एक से अधिक सदस्य (अधिकतर पुरूषों) द्वारा की जाती है और (हत्यारें आमतौर पर समुदाय के सदस्य होतें है) इस विश्वास के साथ हत्या को अंजाम देतें हैं कि मरने वाले सदस्य के कृत्य के कारण उस परिवार, वंश या समुदाय का अपमान हुआ है।(https://hi.wikipedia.org/wiki/honurkilling)

एक दूसरी परिभाषा को देखा जाय तो कह सकते हैं कि परिवार के किसी सदस्य विशेष रूप से महिला सदस्य कि उसके सगे संबंधियों द्वारा होने वाली हत्या को, ऑनर किलिंग कहा जाता है यह हत्याएं प्रायः परिवार एवं समाज की प्रतिष्ठा के नाम पर ही किया जाता है।

मानव अधिकार संस्था ह्यूमन रॉइट्स वॉच सम्मान हत्या को निम्न रूप में परिभाषित करती है:

"सम्मान की रक्षा के लिये किये गये अपराध हिंसा के वो मामले हैं जिन्हें परिवार के पुरुष सदस्यों ने अपने ही परिवार की महिलाओं के खिलाफ इसलिये अंजाम दिया है क्योंकि उनके अनुसार उस महिला सदस्य के किसी कृत्य से समूचे परिवार की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंची है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है जैसे कि परिवार द्वारा नियत शादी करने से इंकार, किसी यौन अपराध का

1: Corresponding Author

शिकार बनना, पति से (प्रताड़ना देने वाले पति से भी), तलाक की मांग करना या फिर अवैध संबंध रखने का संदेह। केवल यह धारणा ही उस महिला सदस्य पर हमले को उचित ठहराने के लिये पर्याप्त है कि उसके किसी कदम से परिवार की इज्जत को बट्टा लगा है।"

सामान्य समझ यह कहता है कि आखिर इस प्रकार की हत्या सिर्फ परिवार, वंश या समाज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मानवता के लिए शर्मनाक है इस तरह की घटनाओं को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। आखिर समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न कैसे हुयी कि किसी व्यक्ति की जान की कीमत किसी का सम्मान या प्रतिष्ठा हो जाए, इसके लिए हमें इतिहास के अतीत मे झांकना होगा और विश्लेषण करना होगा कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं कि अपने ही परिवार के सदस्य की निर्मम हत्या परिवार के द्वारा ही कर दिया जाता है और उसे जायज ठहराने की पुरजोर कोशिश की जाती है।

भारतीय परिदृश्य में कहीं न कहीं जाति प्रथा या जातिगत भेदभाव इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि भारत में चार वर्णो के अलावा विभिन्न जातियों का वर्चस्व वादी स्वरूप कहीं न कहीं एक दूसरे से उच्च बनने एवं दिखने की लालसा भारत के जातिगत भेदभाव को और मजबूत आधार प्रदान करता है । इसी जातिगत ढांचे को डॉ. अम्बेडकर ने भली–भांति विश्लेषित किया है, इनके नजरिए से यह समझना और आसान हो जायेगा कि ऑनर नामक बिमारी का बीज भारतीय समाज के जड़ों मे ही है। डॉ.अम्बेडकर ने एक बार कहा था, *"मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गयी प्रगति के पैमाने से मापता हूं।"* वे मानते थे कि समाज के स्वास्थ्य का आकलन उसकी महिलाओं की स्थिति से किया जा सकता है। जबकि इज्जत के नाम पर हत्याएं समाज मे महिलाओं की निम्न स्थिति को बताता है। इस प्रकार इज्जत के नाम पर हत्याओं का मूल प्राथमिक रूप से जातिवाद और पितृसत्ता में है। डॉ.अम्बेडकर ने *"हिन्दू महिलाओं का उत्थान और पतन"* शीर्षक अपने लेख में इसका व्यापक विवरण प्रस्तुत किया। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति को महिलाओं के असमानता का रहस्य माना है, अम्बेडकर ने मनुस्मृति के उन श्लोकों के अर्थ की व्याख्या की जो महिलाओं की अधीनता के सूचक है:*अस्वतंत्राः स्त्रियः कार्याः पुरुषैः स्वैर्दिवानिशम ।विषयेषुचसज्जन्त्यः संस्थाप्य ।आत्मनोवशे॥* यानी महिलाओं को दिन रात उनके परिवारों के पुरूषों द्वारा अनिवार्यतः अधीनता में रखा जाना चाहिए और अगर वे उन्हें आनंद के लिए संलग्न करते हैं तो उन्हें निश्चित ही नियंत्रण कें रखा जाना चाहिए।

बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य यौवने ।पुत्राणां भर्तरि प्रेते न भजेत्स्त्री स्वतन्त्रताम॥ एक स्त्री को अनिवार्य रूप से बचपन में अपने पिता के अधीन युवावस्था में पति के अधीन और जब पति की मृत्यु हो जाए तब अपने पुत्रों के अधीन रहना चाहिएः एक महिला कभी भी स्वाधीन नहीं होनी चाहिए।

बालया वा युवत्या वा वृद्धया वाऽपि योषिता। न स्वातन्त्र्येण कर्तव्यं किं चिद् कार्यं गृहेष्वपि॥ एक बालिका द्वारा ,एक युवा द्वारा यहां तक कि एक उम्रदराज महिला द्वारा अपने घर में भी स्वाधीन रूप से कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। *नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्रैरिति धर्मे व्यवस्थितिः। निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च स्त्रीभ्योऽनृतं इति स्थितिः॥* यानी महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने का कोई अधिकार नहीं है। यह इसलिए क्योंकि उनके अनुष्ठान वेद मंत्रों के बिना नही किए जाते हैं।

इस तरह की बहुत सी बातें 'ऑनर किलिंग' की समझ को सरल एवं सहज करती है क्योंकि इसके सामाजिक ताना बाना में ही इसके बीज अंकुरित हुए है।

'ऑनर किलिंग' के कारण

अपमान की यह धारणा सामान्यतः कुछ विशेष कारणों से उत्पन्न होती है। जैसे जाति व्यवस्था का लगातार सख्त होना (https://www.forwardpress.in/2018/10/honour-killing-the-last-ditch-effort-to-save-the-caste-system-hindi-2/) जैसे जैसे समाज और विकसित होता जा रहा है वैसे–वैसे समाज में जातिगत धारणाएं लगातार बलवती एवं शख्त होती जा रही हैं अधिकांश 'ऑनर किलिंग' की घटनाएं तथाकथित उच्च और नीची जाति के लोगों के प्रेम संबंधों के मामलें देखने को मिले हैं हालांकि आज के परिवेश कम अंतर धार्मिक संबंध भी 'ऑनर किलिंग' का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है कुछ मामले ऐसे भी आए हैं जिसमें जाति एवं धर्म से अलग आर्थिक रूप से सशक्त एवं अशक्त के मध्य प्रेम संबंध को लेकर भी हत्या हुयी है।

औपचारिक प्रशासन का अभाव

'ऑनर किलिंग' का मूल कारण औपचारिक प्रशासन का भारत के उन तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुच पाना भी है जिसके कारण शासन के कानूनों का भली–भाति कियांवयन नहीं हो पाता है। स्थानीय शासन या पंचायत समिति जैसे औपचारिक संस्थाओं के अनुपस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों की शासन व्यवस्था एवं निर्णय की प्रकिया में शक्ति का अभाव ग्रामीण स्तर पर शक्ति अवैध एवं गैर संवैधानिक संस्थाओं के पास चला जाता है जैसे 'खाप पंचायत' इसका सबसे प्रबल उदाहरण हो सकता है। ज्यादातर 'ऑनर किलिंग' खाप पंचायत की सहमति एवं सानिध्य में ही अंजाम तक लायी जाती है।

निरक्षरता

समाज का बहुत बड़ा तबका शिक्षा के अभाव के कारण बड़े आसानी से सामाजिक भावुकता के ताने बाने में उलझ जाता है और बड़े आसानी से आसानी से ऐसी घटनाओं को अजाम देने को तत्पर हो जाता है।

अधिकारों के संबंध में अनभिज्ञता

अधिकारों के संबंध में अनभिज्ञता का मुख्य कारण निरक्षरता ही है जिसके अभाव में वह अपने अधिकार एवं कर्तव्यों से अनभिज्ञ रहता है। संवैधानिक दृष्टि से यह साफ है कि भारत में 'ऑनर किलिंग' संविधान के अनुच्छेद 14,15(1),19,21 और 39(6)को नकारात्मक रूप से खंडित करता है। अनुच्छेद14,15(1),19 और 21 जो मूल अधिकारों से संबंधित है तथा अनुच्छेद 39 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन के तौर पर जाने जाते हैं समाज का एक बड़ा भाग इन संवैधानिक मूल भावनाओं से अंजान है। इससे वह अपने अधिकारों के प्रति सामान्य रूप से सजग नहीं रह पाता और जिसके कारण वह इस तरह के सम्मान हत्या का शिकार हो जाता हैं।

अपनी मर्जी से प्रेम विवाह

'ऑनर किलिंग' का एक प्रमुख कारण परिवार के पसंद के खिलाफ अपनी मर्जी से प्रेम विवाह करना यह कारण जातिगत एवं धार्मिक दोनों स्तरों पर देखा जा सकता है। इसका आशय यह है कि दो विभिन्न धर्मों के युगल या विभिन्न जातियों के बीच प्रेम संबंधों के चलते विवाह का हो जाना। हालांकि कुछ ऐसे भी मामले देखने को मिले है जिनमें आर्थिक रूप से सशक्त एवं अशक्त होना भी हत्या का कारण बना है।

परिवार द्वारा नियत विवाह से इंकार करना

समुदाय द्वारा निर्धारित वस्त्र संहिता का उलंघन कर कोई अन्य परिधान पहनना भी परिवार के नजर में बहुत बुरा माना जाता है और कई बार हत्या का कारण बनता है।विवाह पूर्व या विवाह के उपरांत किसी अन्य पुरूष (या महिला) के साथ किसी महिला (या पुरूष)के साथ यौन संबंध स्थापित करना या बनना भी हत्या का प्रमुख कारण हो गया हैं। समलिंगी आचरण करना समान लिंग के व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध या विपरीत लिंगी के समान आचरण करना या वस्त्र धारण करना।(https://hi.wikipedia.org/wiki/honurkilling)ऐसे अनेक कारण है जो 'ऑनर किलिंग' के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से से जिम्मेदार है।

'ऑनर किलिंग' का प्रभाव

जहां तक 'ऑनर किलिंग' के प्रभाव की बात करें तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव हमारे समाज पर बहुत ही नकारात्मक रूप से पड़ा है, अगर हम पीड़ित पक्ष के संबंध में देखें तो ***डिप्रेशन*** एक सामान्य समस्या बनती जा रही है जब ऑनर किलिंग से संबंधित कोई भी वाक्या समाज में घटित होता है तब उस परिवार और उस परिवार से संबंधित रिश्तेदार आदि प्रभावित, पारिवारिक सीमा के भीतर लोगों में एक सामान्य प्रवृति दिख रहीं है जहां अधिकांश लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं।

जब 'ऑनर किलिंग' से संबंधित कोई या किसी व्यक्ति की हत्या (पुरुष या महिला) हो जाती है तो जो कोई बच जाता है उसके मन में जीवन पर्यंत आत्म दोष एवं आत्मग्लानि की भावना घर कर जाती है और यह एक मानसिक विकार के रूप में पूरे जीवन भर उस व्यक्ति को सहजता और सम्मान के साथ जीने नहीं देती है।

'ऑनर किलिंग' के प्रभाव

इस तरह की घटना का एक प्रभाव यहां यह भी है कि अक्सर देखा जाता है कि जो व्यक्ति इस घटना का शिकार हो जाता है वह या उससे संबंधित दूसरा व्यक्ति जीवन भर एकांतता में चला जाता है वह कभी भी सामाजिक रूप से मेलजोल या सामाजिक समरसता के स्वरूप में अपने आप को शामिल नहीं कर पाता है जिसका प्रभाव पूरे परिवार या पूरे समाज पर देखने को मिलता है जिसको हम *मानसिक तनाव* की श्रेणी में रख सकते हैं यह एक मानसिक विकार के रूप में जीवन पर्यंत व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीने नहीं देता है और उस परिवार को सदैव से एक भय के वातावरण के रखता है।

अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो 'ऑनर किलिंग' मानवाधिकारों के उल्लंघन के साथ–साथ अनुच्छेद 21 के अनुसार गरिमा के साथ जीने के अधिकार का भी उल्लंघन है, यह देश में सहानुभूति , प्रेम ,करुणा ,सहनशीलता जैसे गुणों के अभाव को और बढ़ाने का कार्य करता है।(https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/honour-killing-a-cause-of-concern) विभिन्न समुदायों के बीच राष्ट्रीय एकता, सहयोग आदि की धारणा को बढ़ावा देने के लिए एक बाधक का कार्य करता है।

वैधानिक प्रावधान एवं प्रयास

हम जानते हैं की 'ऑनर किलिंग', भारत में जाति व्यवस्था, धार्मिक संकीर्णता, आर्थिक रूप से सशक्त एवं अशक्त स्थिति और सामाजिक संकीर्ण मानसिकता के कारण एक विकार के रूप में अधिकांश समाज में व्याप्त है ज्यादातर यह समस्या पूरे भारत में पाई जाती है लेकिन उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाक *ß0% honour killings of the country in west UP: AIDWA survey". News 18. 29 October 2015.*) एवं हरियाणा, चंडीगढ़ आदि में इस तरह के ज्यादें मामले देखने को मिलते हैं भारत के संविधान में किसी भी तरह से ऐसी व्यवस्था को समर्थन नहीं प्राप्त होता है बल्कि कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति को समान रूप से समान प्रावधान के अनुरूप व्यवहार किया जाता है। 'ऑनर किलिंग' एक प्रकार से इसी संवैधानिक व्यवस्था को नकारने जैसा है। *प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इन द नेम ऑफ ऑनर बिल 2010* (*"Bill in Parliament to curb honor killing: Moily". English.samaylive.com. 23 June 2010. Archived from the original on 16 April 2011. Retrieved* 1 October *2012.*) भारतीय संसद में या बिल इस बात का पोषक है की भारत में किसी भी सम्मान के लिए ऐसी घटनाएं रोकने के लिए हम कितने जिम्मेदार हैं।

बिल के महत्वपूर्ण पक्ष

इस बिल में किन्ही दंपति के विवाह को अस्वीकार करने के उद्देश्य से किसी भी समुदाय या गांव की सभा जैसे कि खाप पंचायत के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने की बात शामिल है। साथ ही इसमें नव विवाहित जोड़ों के बहिष्कार पर प्रतिबंध तथा उनकी सुरक्षा मुहैया कराने की भी बात की गई है। सामाजिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना भी शामिल है और स्वयं को निर्दोष साबित करने का दायित्व आरोपी का होगा इसकी भी व्यवस्था की गई है यह बिल अपने आप में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह संवैधानिक दायरो में दी गई अधिकारों के महत्व को दर्शाता है अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पसंद की पवित्रता का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित किया गया है।यह निश्चित रूप से देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। यह बिल भारत के अंदर विभिन्न समुदायों विभिन्न जातियों के मध्य उन रूढ़िवादी विचारों या तत्वों को कमजोर करने में यथासंभव प्रयास है। निश्चित रूप से भारतीय संसद यह निर्धारित करना चाह रही है की भारत में इस तरह के हत्याओं को रोका जा सके और समाप्त किया जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2011 में इज्जत के नाम पर हत्याओं पर एक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मार्कंडेय काटजू और सुधा ज्ञान मिश्रा के दो सदस्यीय खंडपीठ ने कहा की इज्जत के नाम पर हत्याओं में कुछ भी इज्जत के लायक नहीं है और सामंती सोच वाले कट्टर लोगों द्वारा की गई बर्बर और क्रूर हत्याओं के सिवाय कुछ नहीं है अब इन बर्बर सामंती प्रथाओं को खत्म करने का समय है जो हमारे देश पर कलंक है।(https://www.indiatoday.in/india/north/story/honour-killings-sc-for-death-sentence-133412-2011-05-10) अपनी इस टिप्पणी के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई अदालतों और उच्च न्यायालय को यह निर्देश दिया कि इस प्रकार की हत्याओं को दुर्लभ में दुर्लभतम मामलों के रूप में देखा जाए और इनके अपराधियों को मौत की सजा दी जाए। उस समय ऐसा माना गया कि अदालत का यह निर्देश इस प्रकार के अपमानजनक और असभ्य व्यवहार के लिए निवारक का काम करेगा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में यह कहा है कि माता–पिता या खाप पंचायतों द्वारा व्यक्तियों द्वारा विवाह के संबंध में लिए गए उनके निर्णयों का विरोध करना अवैध है गौरतलब है कि इस मामले में पहले भी न्यायालय सरकार को 'ऑनर किलिंग' के संबंध में कठोर कदम उठाने के आदेश दे चुकी है।

निष्कर्ष

'ऑनर किलिंग' के समाधान के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं जब तक समाज में हम सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए मानसिक स्तर पर संकिर्णता को छोड़ेंगे नहीं तब तक ऐसे किसी भी समाधान की बात करना बेमानी लगता है फिर भी अगर सामाजिक रूप से लोग बढ़–चढ़कर हिस्सा लें और इस तरह की समस्याओं को समझें इसके कारणों के तह तक जाएं तो निश्चित रूप से इसके समाधान, आने वाले भविष्य में बेहतर सिद्ध होंगे। मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आज के परिवेश को मीडिया अपने माध्यम से निश्चित रूप से प्रभावित करता है। यहां पर मीडिया की भूमिका समाज को जागरूक बनाने में अधिक महत्वपूर्ण निभानी होगी। साथ ही साथ लोगों को अधिक से अधिक साक्षर बनाने पर जोर देना होगा क्योंकि जब तक शिक्षित नहीं होंगे इस तरह के संकीर्णता को छोड़ना उनके लिए सहज नहीं होगा। (https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/honour-killing-a-cause-of-concern) दरअसल देश में 'ऑनर किलिंग' पर अंकुश लगाने के मामले में अदालतों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है जहां अपराधियों को मौत की सजा के साथ–साथ खाप पंचायतों को अवैध घोषित किया गया है। इससे यह संदेश निश्चित रूप से गया है की समय पर अगर खाप पंचायत या ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग नहीं समझे तो अदालतें उनके साथ अपराधियों जैसा ही सुलूक करेंगे। हालांकि इस तरह के अपराधों को पूरी तरह से रोकने के लिए किसी की जान लेने में कोई सम्मान नहीं है। इज्जत के नाम पर हत्याओं को रोकने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अनुरूप एक मजबूत कानून की हमें जरूरत है ताकि अंतर्जातीय जोड़े निर्भीक होकर विवाह कर सकें और शेष समाज के लिए एक बेहतर उदाहरण बन सके। इस तरह के तरीकों पर अगर विचार किया गया तो निश्चित रूप से भविष्य में 'ऑनर किलिंग' जैसे बर्बर शब्दों को सुनने में कमी आएगी और भारत में ऐसी हत्याओं को समाप्त/कम करने में निश्चित रूप से यह कारगर सिद्ध होगा।

REFERENCES

http://www.honordiaries.com/wp-content/uploads/2013/06/HD-FactSheet,HonorViolenceEast.pdf

https://hi.wikipedia.org/wiki/honurkilling

https://www.forwardpress.in/2018/10/honour-killing-the-last-ditch-effort-to-save-the-caste-system-hindi-2/

https://hi.wikipedia.org/wiki/honurkilling

https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/honour-killing-a-cause-of-concern

"30% honour killings of the country in west UP: AIDWA survey". *News 18. 29 October 2015.*

"Bill in Parliament to curb honor killing: Moily". *English.samaylive.com. 23 June 2010. Archived from the original on 16 April 2011. Retrieved* 1 October *2012.*

https://www.indiatoday.in/india/north/story/honour-killings-sc-for-death-sentence-133412-2011-05-10

https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/honour-killing-a-cause-of-concern